5/2/21 वकील वादी उप० नहीं। बार-बार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं। वकील वादी को अन्तिम आवाज साय 5.30 बजे दिलाई गई। वकील वादी उप० नहीं। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी मे खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील मूल दावे के साथ संलग्न हो। सुनाया गया

सहायक कलक्टर
अलवर

Signature Not Verified

Digitally signed by Renu Meena
Date: 2021.02.23 12:17:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner